

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 523

दिनांक:- 07-06-18

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री मरला पि० रामा मीणा

जति मौजा उम नि० मडडी तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत मडडी दिनांक 07-06-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले०२०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा मडडी पंचायत समिति.....

कोयरी में स्थित खाता संख्या 251 पर आराजी नं० 142 कुल 0 बीघा 0-02 बिस्वा किता 1 योग रकबा 0-02 बिस्वा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगडी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी राधा प्रिंसिपल नि० मडडी ने भी पत्थरगडी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम मडडी के खसरा नं० 140 रकबा 0 बीघा 0-07 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 0-07 बिस्वा की जमाबंदी संवत् 2070-73 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा मडडी में स्थित खाता संख्या 251 पर आराजी नं० 142 रकबा 0-02 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 0-02 बिस्वा की पत्थर गडी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा मडडी में स्थित खाता संख्या 251 पर आराजी नं० 142 रकबा 0-02 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 0-02 बिस्वा की पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर भू०अ० निरीक्षक ... के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गडी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगडी शुल्क रू० 500/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तमी पत्थरगडी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर